न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

(132)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक ./2016 जिला–अशोकनगर निग – 488-I-16

गजराजसिंह पुत्र अलोलसिंह यादव निवासी–ग्राम खांनपुर तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर हाल निवास अशोकनगर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन -- अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 29.2.16 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट 29.2.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/अ–6/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.08.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक द्वारा कस्बा अशोकनगर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 555 में से रकवा 6 बीघा, खसरा क्रमांक 558 में से रकवा 2 बीघा, खसरा क्रमांक 572 में रकवा 1 विस्वा भूमि विक्रेता मराठा सेतकी संघ के मैनेजर श्री केशवराव पुत्र श्री सीताराम भौसले, मराठा से 92/–रूपये में दिनांक 05.11.1955 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से आवेदक का निरंतर वदस्तूर मौके पर कास्त करके कब्जा चला आ रहा है।

2. यहकि, उक्त विक्रयपत्र सम्पादित हो जाने के पश्चात् आवेदक को भूमि का कब्जा दिया गया जिसके आधार उसने भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से भूमि के चारों ओर दीवार बना ली है तथा मौके पर काबिज है, चूंकि आवेदक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है, इसलिए उसने भूमि क्रय करने के पश्चात् नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तद्समय प्रस्तुत नहीं किया था क्योंकि इसके पीछे उसकी सोच यह भी कि भूमि क्रय करने के पश्चात् ग्राम पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में स्वतः हीं नामान्तरण किया जाता है।

3. यहकि, जब ग्राम पटवारी द्वारा आवेदक को यह बताया गया कि उपरोक्त भूमि तहसीलदार अशोकनगर के आदेश से शासकीय घोषित कर दी गयी है, तब उक्त जानकारी के आधार पर उसकी ओर से विक्रय के आधार पर नामान्तरण बावत् आवेदन तहसीलदार अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो तहसील न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 20.08.2015 से इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उपरोक्त भूमि के संबंध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 788/एक/2016 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
14-3-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 110/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा कस्बा अशोकनगर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 555 में से रकवा 6 बीघा, खसरा क्रमांक 558 में से रकवा 2 बीघा, भूमि खसरा क्रमांक 572 में से रकवा 1 विस्वा भूमि विक्रेता मराठा सेतकी संघ के मैनेजर श्री केशवराव पुत्र श्री सीताराम भोंसले मराठा से 92/–रूपये में से दिनांक 05.11.1955 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तब आवेदक का निरंतर वदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। भूमि क्रय करने के पश्चात् आवेदक द्वारा नामान्तरण नहीं कराया गया। इसके पीछे सोच यह रही है कि उसने विक्रयपत्र की प्रति पटवारी को दे दी थी और आशा थी कि पटवारी स्वतः ही नामान्तरण कर देंगे। किन्तु पटवारी द्वारा नामान्तरण नहीं किया गया, बल्कि पटवारी द्वारा अधिक समय बाद	

आवेदक को बताया कि तहसीलदार, तहसील अशोकनगर के आदेश से उपरोक्त भूमि शासकीय घोषित कर दी गयी है। उक्त जानकारी के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन विक्रयपत्र के आधार पर तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 20.08.2015 से निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3— प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवेदक की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विक्रयपत्र के आधार नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया था, जो बिना किसी पर्याप्त कारण के निरस्त कर दिया गया है, जबकि विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय का है, ऐसी स्थिति में जो आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किया जाये।

आवेदक, अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के नामान्तरण आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1, अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 79ए/14 प्रस्तुत किया था, जो आदेश दिनांक 16.08.2014 से निरस्त हो चुका है। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के आदेश को अंतिम नहीं माना जा सकता एवं इसी भूमि के कुछ भू—भाग से संबंधित प्रकरण जिला न्यायाधीश, अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 19ए/2012 में आदेश दिनांक 31.01.2012 पारित कर अपील स्वीकार की है और श्रीमती रामकुँवरबाई को वादग्रस्त भूमि मालिक माना गया है,

ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश आवेदक के प्रकरण में पूर्णतः लागू होता है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश पर विचार कर निगरानी स्वींकार किये जाने एवं आवेदक के नाम विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने का निवेदन किया गया।

4— अनावेदक की ओर से उनके शासकीय सूची अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि तहसीलदार, तहसील अशोकनगर द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन कर नामांतरण आवेदन निरस्त किया है। उक्त आदेश विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखें जाने का निवेदन किया गया।

5— प्रकरण में आवेदक की ओर उनके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण की मांग की है और विक्रयपत्र के आधार नामांतरण किये जाने का कार्य राजस्व न्यायालय का है। विक्रयपत्र के संबंध में संक्षिप्त जॉच कर नामांतरण आदेश किया जाना चाहिए क्योंकि विक्रय की बैधता के संबंध में जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है। जहॉ तक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1, अशोकनगर के आदेश दिनांक 16.08.2014 का प्रश्न है तो इस संबंध में अपर जिला न्यायाधीश के सक्षम अपील प्रकरण क्रमांक क्रमांक 80ए/2015 प्रस्तुत की गयी है, जो विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के आदेश को अंतिमतः प्रदान नहीं की जा सकती। बल्कि इसी भूमि के संबंध में एक वाद श्रीमती रामकुँवर बाई द्वारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1, अशोकनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो आदेश दिनांक 28.02.2012 से निरस्त

किया गया था तत्पश्चात् रामकुँवर बाई द्वारा जिला न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 19ए/2012 प्रस्तुत की थी, जो आदेश दिनांक 31.08.2012 से स्वीकार की गयी एवं रामकुँवर बाई को भूमिस्वामी माना गया और तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2009 निरस्त किया गया है, जिससे भूमि शासकीय घोषित की गयी थी, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश आवेदक के प्रकरण में पूर्णरूप से लागू होता है, जिस पर विचार किये बिना तहसीलदार अशोकनगर द्वारा जो आदेश पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2015 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से अपास्त किया जाता है। एवं भूमि खसरा क्रमांक 555 में से रकवा 6 बीघा, खसरा क्रमांक 558 में से रकवा 2 बीघा, भूमि खसरा क्रमांक 572 में से रकवा 1 विस्वा पर आवेदक के हित में किये गये विक्रय पत्र दिनांक 05.11.1955 के आधार पर नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश का अमल राजस्व अभिलेखों में कराया जाये, अतः यह निगरानी स्वीकार कर इसी निर्देश के साथ समाप्त की जाती हैं।

सदस्य,